(31) (13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1480–एक/2011, विरूद्ध आदेश दिनांक 03–08–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 146/निगरानी/2010–11

.....

1– श्रीमती दुर्गाबाई पति श्री छोटेलाल जी गवली,
निवासी–83, गौशाला रोड़, रतलाम
2– मांगीलाल पिता मियाचंद जी भील,
3– नंदराम पिता गंगाराम जी भील,
4– नाथू पिता गंगाराम जी भील,
5– प्रकाश पिता गंगाराम जी भील मृतक वारिसानः–
1. श्रीमती दुर्गाबाई पति प्रकाश
6– श्रीमती गंगाबाई पति स्व0 गंगाराम जी भील,
7– श्रीमती पुंजलीबाई पिता स्व0 मियाचंद जी भील,
समस्त निवासीयान–ग्राम हरथली तहसील व
जिला–रतलाम ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान आयुक्त
उज्जैन संभाग उज्जैन ..... अनावेद

.....

श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0के0 अग्रवाल, पेनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/1/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, अपर कलेक्टर रतलाम द्वारा विक्रय की अनुमति का आदेश दिनांक 13.04.2010 को पारित किया गया है और उक्त आदेश को पारित हुए काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, उक्त स्थिति में पारित आदेश पूर्णतः अवैध एवं विधि के विरूद्ध है । अधीनस्थ निगरानी न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय कलेक्टर रतलाम के यहां प्रचलित रहे प्रकरण क्रं0 65/अ–21/2008–09 का समुचित अवलोकन एवं अध्ययन ही नहीं किया है । प्रार्थिया के प्रकरण में अनुमति आदेश दिनांक 13.04.2010 कलेक्टर रतलाम द्वारा पारित किया गया है जिसमें अनुमति दिए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपर कलेक्टर के नाम का उल्लेख कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । न्यायालय अपर कलेक्टर रतलाम ने दिनांक 13.04.2010 का आदेश पारित किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं की है वरन इस संबंध में सम्पूर्ण प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुये विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना संभव नहीं होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है । आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि, अपर कलेक्टर रतलाम ने अंतरण की सद्भाविकता के संबंध में विस्तृत जांच की है और इस संबंध में जांच प्रतिवेदन तलब किये गये है । अनुविभागीय अधिकारी रतलाम द्वारा तहसीलदार रतलाम के जांच प्रतिवेदन को मय अनुशंसा के प्रेषित किया गया है । विक्रीत किये गये रकबा 1.430 हैक्टर के विक्रय के उपरांत भी आवेदक क्रं0 2 लगायत 7 के पास रकबा 4.670 हैक्टर भूमि ग्राम– हरथली में एवं रकबा 0.440 हैक्टर ग्राम–सागोद में शेष रही है जो स्वयं आवेदक क्रं0 2 लगायत 7 ने अपने व परिवार के लिये पर्याप्त होना इर्शाई है किन्तु अधीनस्थ निगरानी न्यायालय ने उक्त स्थितियों पर भी समुचित रूप से विचार किये बिना विवादित आदेश पारित करने वैधानिक भूल की है । आवेदक क्रं0 2 लगायत 7

द्वारा क्यों कर भूमि का विक्रय किया जा रहा है, इस संबंध में अपने आवेदन पत्र एवं कथन में स्पष्ट विवरण किया गया है। विक्रय के उपरांत आवेदक क्रं0 2 लगायत 7 ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है । आवेदक क्रं0 2 लगायत 7 विक्रय से पूर्ण संतुष्ट है और जबकि उक्त विक्रय के संबंध में आवेदक क्रं0 2 लगायत 7 को किसी भी प्रकार का कोई विवाद या आपत्ति नहीं है, तो उक्त स्थितियों में प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश निरस्त किये जाने का कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं होने से पारित आदेश निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आवेदकगण को सुनवाई का एवं पक्ष प्रस्तुत का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया है । आवेदगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2011 को निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर रतलाम द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से पेनल अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में अपर आयुक्त के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर अभिलेख के आधार पर विधिवत आदेश पारित करते हुये निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा पूर्व में भूमि विकय की अनुमति दी गई थी, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि आदिवासी की भूमि का बाजार मूल्य क्या था तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन में नहीं बताया गया है । आदिवासी पक्ष का भूमि विकय से किस प्रकार हित हागा यह भी विचारण न्यायालय के आदेश में नहीं

दिया है । उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन भी विधिवत नहीं हुआ है । अनुमति देने वाले कारणों का उल्लेख भी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में नहीं किया है । उक्त आधारों पर उन्होंने कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए स्वमेव निगरानी प्रकरण स्वीकार किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.8.11 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर